



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243334
CG-DL-E-02022023-243334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]
No. 465]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 2023/माघ 12, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 2023/MAGHA 12, 1944

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का. आ. 480(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 20 मई, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2337(अ), तारीख 17 मई, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के अम्बाला जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन "द ट्रिब्यून" और "अमर उजाला" दैनिक समाचार पत्रों में तारीख 20 जुलाई, 2022 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य क अम्बाला जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : अम्बाला

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	मस्तील नम्बर	सर्वेक्षण संख्या	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल हैक्टर में	भू-स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अम्बाला	पत्ती मेहर	सरकारी	आवासीय	7//	19	0.0600	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	7//	23	0.1710	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
		जन्डली	सरकारी	आवासीय	19//	9	0.0202	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	19//	10	0.1240	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	19//	12/1	0.0303	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	19//	12/2/2	0.0303	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	20//	6	0.0200	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	20//	4	0.0225	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	20//	5	0.1062	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			सरकारी	आवासीय	9//	24	0.0481	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2381]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 480(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 2337(E), dated the 17th May, 2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th May, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the

said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Ambala in the State of Haryana;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers “The Tribune” and “Amar Ujala”, dated the 20th July, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and accordingly orders have been passed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Ambala in the State of Haryana.

DISTRICT: Ambala

Sl. No.	Name of the Taluka	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Musteel Number	Survey Number	Area (in Hectare)	Name of Land Owners/ Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ambala	Patti Mehar	Government	Residential	7//	19	0.0600	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	7//	23	0.1710	Haryana Urban Development Authority.
		Jandli	Government	Residential	19//	9	0.0202	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	19//	10	0.1240	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	19//	12/1	0.0303	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	19//	12/2/2	0.0303	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	20//	6	0.0200	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	20//	4	0.0225	Haryana Urban Development Authority.

			Government	Residential	20//	5	0.1062	Haryana Urban Development Authority.
			Government	Residential	9//	24	0.0481	Haryana Urban Development Authority.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2381]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)